

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**की धारा-4 के अन्तर्गत**

**17 मैनुअल्स का संग्रह**



उत्तराखण्ड शासन

**मैनुअल संख्या-07 (सात)**

**उरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)**

# मैनुअल संख्या-7 (सात)



उत्तराखण्ड शासन

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

## विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
मैनुअल संख्या- 7		
1.	नीति निर्धारण:-	1
2.	नीति कार्यान्वयन	2

1. नीति निर्धारण:-

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि के परामर्श/ भागीदारी के प्राविधान।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	उपविधियों का निर्माण	हाँ	आवश्यकता होने पर सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

## 2. नीति कार्यान्वयन:-

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श/भागीदारी के प्राविधान।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	उपविधियों में संशोधन	हाँ	आवश्यकता होने पर सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती हैं।

नोट:—दुग्ध संघ व प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति की उपविधियों निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है।